भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4115

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संचयन

4115. डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री शंकर लालवानी:

डॉ. जयंत कुमार राय:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री भोला सिंह:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोई जल संचयन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्षा जल को पेयजल में परिवर्तित करने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम चला रही है और यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वर्षा जल किस प्रकार संचयित किया जा रहा है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन हेतु सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान ग्राम और नगर स्तर पर वर्षा जल संचयन हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए/किए जा रहें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान आरंभ किया गया है जो कि मिशन मोड में चलाया जाने वाला एक ऐसा समयबद्ध अभियान है, जिसमें भारत के 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल स्थितियों सहित जल की उपलब्धता में सुधार किया जाना है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकारियों का एक दल, जल की कमी वाले जिलों का दौरा करने और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने और उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए तैनात किया गया था।

जल, राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना प्राथमिक रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में बहुत से राज्यों ने सराहनीय कार्य किए हैं। इनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जल युक्त शिबर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन ककातिया' और आंध्र प्रदेश में 'नीरू चेट्टू' का उल्लेख किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार मुख्य रूप से महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई -डब्ल्यूडीसी) के माध्यम से जल संचयन और संरक्षण निर्माण कार्यों में सहायता करती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, पिछले दो वित्तीय वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों में 672835 जल संरक्षण एवं जल संचय निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं जिन पर कुल 11772.86 करोड रूपए व्यय हुए है, जैसाकि राज्यों ने प्रबंधन सूचना प्रणाली पर सूचना अपलोड की है (अनुलग्नक-I)।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के अनुसार, 2014-15 से 2019-20 तक (सितम्बर, 2019 तक) पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत, विभिन्न राज्यों में 6.08 लाख जल संचय संरचनाएं सृजित/संरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, राज्यों को वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2009-10 से 2019-20 तक 17916.27 करोड रूपए की केन्द्रीय हिस्से की राशि जारी की गई है (अनुलग्नक-II)।

इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने पर नाते, देश में भूमि जल के संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन के प्रयास करना प्राथमिक तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में भूमि जल के संरक्षण, प्रबंधन और वर्षा जल संचयन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

यूआरएलः-http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

******

अनुलग्नक-I

'वर्षा जल संचयन' के विषय में दिनांक 12.12.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4115 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संचयन निर्माण कार्य			
क्र.□□	राज्य	2018-19	2017-18
1	अण्डमान और निकोबार	3	6
2	आंध्र प्रदेश	27107	11933
3	अरुणाचल प्रदेश	30	104
4	असम	2581	2058
5	बिहार	5457	6649
6	छत्तीसगढ	20694	19462
7	गोवा	0	2
8	गुजरात	7700	7854
9	हरियाणा	750	737
10	हिमाचल प्रदेश	9485	6306
11	जम्मू और कश्मीर	1825	3090
12	झारखंड	14241	49660
13	कर्नाटक	17267	20812
14	केरल	19930	29067
15	लक्षद्वीप	0	0
16	मध्य प्रदेश	18823	19644
17	महाराष्ट्र	19036	15216
18	मणिपुर	647	223
19	मेघालय	657	926
20	मिजोरम	1499	822
21	नागालैंड	213	441
22	ओडिशा	2225	5521
23	पुदुच्चेरी	41	37
24	पंजाब	238	238
25	राजस्थान	8775	10905
26	सिक्किम	223	152
27	तमिलनाडु	25428	10185
28	तेलंगाना	20749	65284
29	त्रिपुरा	4777	7254
30	उत्तर प्रदेश	29543	32303
31	उत्तराखंड	5846	6434
32	पश्चिम बंगाल	36688	37032
	□□	302478	370357

□□लग्नक II

'वर्षा □□ □□□□' के विषय में दिनांक 12.12.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4115 □□□□□ (□) □□(□) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मंजूर की गई वाटरशेड परियोजनाअं, परियोजनाओं के तहत शामिल क्षेत्र, पूरी हुई परियोजनाएं और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी धन राशि

(क्षेत्र- मिलियन हेक्टेयर, धनराशि- करोड रूपए)

क्र.□□	राज्य	□□□ (2009-10 □□2014-15 □□)@		पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या **	जारी केन्द्रीय स□□□□ (2009-10 से 2019-20# □□)
		परियोजनाओं की कुल संख्या	परियोजना का क्षेत्र		
1	आंध्र प्रदे *	432	1.810	158	1060.68
2	अरुणाचल प्रदेश	156	0.467	13	244.33
3	असम	372	1.577	143	492.75
4	बिहार	123	0.612	0	151.31
5	छत्तीसगढ़	263	1.195	112	330.35
6	गुजरात	610	3.103	292	1288.64
7	हरियाणा	88	0.362	0	101.94
8	हिमाचल प्रदेश	163	0.840	0	283.58
9	जम्मू और कश्मीर ^	159	0.652	0	230.82
10	झारखंड	171	0.911	30	191.52
11	कर्नाटक	571	2.569	304	1894.70
12	केरल	83	0.423	26	128.69
13	मध्य प्रदेश	517	2.937	204	1497.49
14	महाराष्ट्र	1186	5.128	598	2413.95
15	मणिपुर	102	0.491	5	149.10
16	मेघालय	96	0.236	47	173.03
17	मिजोरम	89	0.373	32	259.89
18	नगालैंड	111	0.476	61	539.15
19	ओडिशा	310	1.700	127	1004.31
20	पंजाब	67	0.314	0	60.42
21	राजस्थान	1025	5.764	377	2534.70
22	सिक्किम	15	0.066	0	22.08
23	तमिलनाडु	270	1.368	112	924.94
24	तेलंगाना *	330	1.399	121	590.30
25	त्रिपुरा	65	0.213	20	210.96
26	उत्तराखंड	65	0.346	5	131.08
27	उत्तर प्रदेश	612	3.045	225	808.49
28	पश्चिम बंगाल	163	0.693	0	197.08
	□□	**8214**	**39.07**	**3012**	**17916.27**

@ पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत स्वीकृत, जिसे 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के रूप में एकीकृत किया गया है।

* पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से प्राप्त अंतिम लेखा परीक्षित विवरण के अनुसार

^ पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर

** राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30.11.2019 की स्थिति के अनुसार

पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत जारी धनराशि सहित 30.11.2019 की स्थिति

टिप्पणी: गोवा में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

******